COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES CANCELLED

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES CANCELLED

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. कैम्प सागर

~~न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त सागर संभाग, सागर~~

18 JAN 2001

श्रीमति मंजूलता पत्नि अनिल कुमार जैन — R395/III/06

निवासी ग्राम सिंगपुर तह.खुरई जिला सागर

हाल निवासी सागर म.प्र. ।

-- आवेदिका

।। विरूद्ध ।।

1- प्रमोद कुमार वल्द हल्कू चढार निवासी ग्राम सिंगपुर

तहसील खुरई जिला सागर ।

2- मध्यप्रदेश शासन ।

-- अनावेदकगण

क्रमांक__________
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 1/3/06 को प्राप्त
कोर्ट
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र.

कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्भाग, सागर (म.प्र.)

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर सागर द्वारा प्र.क्र. 59अ/19(8) 99-2000 में पारित आदेश दिनांक-14-11-2000 के विरूद्ध की गई है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

38
2/11/...

यह कि, आवेदिका के भूमिस्वामी हक्क की भूमि खसरा नंबर 122/3 जिसका नया नंबर 173 हो गया है की भूमिस्वामी आवेदिका है और इस पर केवल एक टपरा आवेदिका का बना हुआ है इसमें अनावेदक क्र. 1 नहीं रहता है अन्य कोई मकान या टपरा इस खेत में नहीं बना हुआ है अनुविभागीय अधिकारी ने बिना अनावेदक क्रमांक 1 के आवेदन के होते हुये अपने मन से स्थल निरीक्षण करके खुली जमीन पर टपरा बताकर अनावेदक क्र. 1 के नाम से पट्टा नाजायज तौर से कर दिया इस जांच या स्थल निरीक्षण बावत आवेदिका को का कोई सूचना नहीं दी गई न ही उसे सुनवाई का अवसर ही दिया गया उ

B.R.

10 FEB 2006

(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 395–दो / 2006 **जिला–सागर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.02.2015 सागर कैम्प	प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत दिनांक 28–10–13 से लगातार अनुपस्थित हैं । प्रकरण आवेदक अधिवक्ता की उपस्थित के लिये दिनांक 04–02–15 तक नियत होता रहा किन्तु दिनांक 28–10–13 से 04–02–15 तक न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता की उपस्थिति का इंतजार किया जाकर न्यायहित में आवेदक को पर्याप्त समय मिलने के पश्चात् भी वे अनुपस्थित रहे है। वहीं सुनवाई दिनांक 04–02–2015 को तीन बार पुकार लगवाई गई, इसके पश्चात् भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । उपरोक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है। प्रकरण अनावश्यक रूप से वर्ष 2006 से लंबित चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि न होने के कारण प्रकरण को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । **प्रशासकीय सदस्य**	